राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 11/2019–20

क्रमांक : एफ.7 (43) भर्ती/F.S.O./EP-I/2018–19/169 **दिनांक : 18.09.2019**

आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2019–20 दिनांक 21.05.2019, विज्ञापन संख्या 02/2019–20 दिनांक 21.06.2019, संयुक्त विज्ञापन संख्या 03/2019–20 दिनांक 08.07.2019 एवं विज्ञापन संख्या 04/2019–20 दिनांक 05.08.2019 के अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट के बिन्दु संख्या 8 तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिन्दु संख्या 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :–

8. ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात्/प्रत्येक चरण की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यकता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यकता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यकता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

प्रमाण पत्रों का सत्यापन :–

13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(के.के. शर्मा)
सचिव